



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 5, सोमवार, शाके 1938-दिसम्बर 26, 2016
Pausa 5, Monday, Saka 1938-December 26, 2016

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

कानूनी आदेश, तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग

(सामान्य वित्तीय और लेखा अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 26, 2016

एस.ओ.121 :-राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्र और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के साधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ डी/जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 51 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेंगी, अर्थात् :-

52	राज्य न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान के निमित्त परिष्कृत तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों का उपापन और आयात	स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	उपापन और आयात के लिए अनुमोदन, प्रकरण वार, प्रशासनिक विभाग द्वारा दिया जायेगा
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

[सं. एफ.1(8) एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011]

राज्यपाल के आदेश से,

नवीन महाजन,

शासन सचिव।

1013

FINANCE DEPARTMENT
(General Financial & Accounts Division)
NOTIFICATION

Jaipur, December 26, 2016

S.O.121 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central and the State Government, utilization of the resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing of bids individually, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification, after the existing serial number 51 and entries thereto, the following new serial number and entries thereto, shall be added namely:-

52.	Procurement and import of sophisticated technical and scientific equipment on behalf of State Forensic Science Laboratory, Rajasthan.	State Trading Corporation of India Limited.	Approval, on case to case basis, for the procurement and import shall be granted by the Administrative Department.
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[No.F.1(8)FD/GF&AR/2011]

By Order of the Governor,
Naveen Mahajan,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.